संख्याः 178 / 77-6-18-3(बजट)/ 16टीसी

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2018

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र संख्या-117/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 08-08-2017, 1771/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 04-10-2017, 2242/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 04-11-2017 एवं 2524/ विनि/ वियोवि/ 2017-18 दिनांक 15-01-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,09,86,00,000.00 (रू0 एक अरब नौ करोड़ छियासी लाख मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0 4,57,08,836.00 (रू0 चार करोड़ सत्तावन लाख आठ हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।

2- यह धनराशि उन पात्र मेगा इकाइयों को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003(यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

3- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम पर होगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 (यथा संशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

4- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

5- यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि मे ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।

www.shasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9- उक्त धनराशि को आहरित करके उ0प्र0 वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से स्थिति स्पष्ट कर लेंगे।

10- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-30-निवेश/ ऋण के नाम डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-B-4-7/ X-2018 में दिनांक 28-02-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह पटेल)
विशेष सचिव।

संख्याः 178(1)/ 77-6-18-3(बजट)/ 16टीसी तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
8- नियोजन अनुभाग-1/ 4

www.shasanadesh.up.nic.in

9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

www.shasanadesh.up.nic.in